



प्रेषक

फैक्स/ई-मेल

सेवा में,

श्रम आयुक्त, हरियाणा,
चंडीगढ़।

1. सभी अधिष्ठाता अधिकारी, श्रम न्यायालय, हरियाणा राज्य।
2. अतिरिक्त श्रम आयुक्त, गुरुग्राम (एन0सी0आर0)।
3. सभी उप श्रम आयुक्त, हरियाणा राज्य।
4. सभी अधिकारी, मुख्यालय।
5. सभी उप निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, हरियाणा राज्य।
6. सभी संयुक्त निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, हरियाणा राज्य।
7. सभी सहायक निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, हरियाणा राज्य।
8. कल्याण अधिकारी (महिला) फरीदाबाद व पानीपत।
9. सभी सहायक श्रम आयुक्त, हरियाणा राज्य।

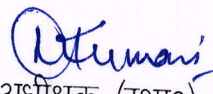
क्रमांक: स्था0/01/2017/ 25596-25706
दिनांक: 31/08/2017

Subject:- Minutes of the review meeting of CM Window held on 24.07.2017-
Instructions regarding.

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

विषय संबंध में आपको अतिरिक्त मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, हरियाणा मुख्यमंत्री, शिकायत निवारण प्रकोष्ठ से प्राप्त पत्र की प्रति भेजते हुए अनुरोध किया जाता है कि आप मुख्यमंत्री शिकायत निवारण प्रकोष्ठ के माध्यम से प्राप्त शिकायत की हिदायतों अनुसार पालना सुनिश्चित करें।

संलग्न: उपरोक्त


उप अधीक्षक (स्था0),
कृते: श्रम आयुक्त, हरियाणा।

क्रमांक:- 6/3/2017-6 जी०सी०
हरियाणा सरकार,
मुख्यमंत्री शिकायत निवारण प्रकोष्ठ।

सेवा में

दिनांक:- 10.08.2017
16

1. सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार,
2. सभी विभागाध्यक्ष, हरियाणा सरकार,
3. पुलिस महानिदेशक, हरियाणा,
4. सभी उपायुक्त, हरियाणा।

विषय:-

Minutes of the review meeting of CM Window held on 24.07.2017-Instructions regarding.

महोदय/महोदया,

DSE

मुझे निदेश हुआ है कि मैं उपरोक्त विषय की ओर आपका ध्यान दिलाऊँ तथा बैठक के दौरान निम्न हिदायतों सम्बन्धी लिए गए निर्णयों से अवगत करवाऊँ:-

1. New Grievances का समाधान यदि विभागीय स्तर पर किया जाना है तो उसे 3 दिन में और यदि यह निदेशालय या क्षेत्रीय कार्यालयों तक मार्क की जानी है तो यह अधिकतम 7 दिनों में undertake to redress की जाये।
2. कार्यवाही रिपोर्ट में कोई संदर्भ दिया हो तो वह भी सलग्न (attach) किया जाये तथा जाँच के मामलों में जाँच रिपोर्ट भी सलग्न की जाये।
3. सभी विभागों में नियुक्त नोडल अधिकारी संयुक्त निदेशक/ उपनिदेशक/ सहायक निदेशक स्तर के होने चाहिए।

आपसे अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त हिदायतों की अनुपालना सुनिश्चित करवाने की कृपा करें।

भवदीय

अवर सचिव

कृते: अतिरिक्त प्रधान सचिव मुख्यमंत्री, हरियाणा
मुख्यमंत्री शिकायत निवारण प्रकोष्ठ।

आंतरिक वितरण:-

1. निजी सचिव/मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।
2. निजी सचिव/प्रधान सचिव मुख्यमंत्री, हरियाणा।
3. निजी सचिव/अतिरिक्त प्रधान सचिव मुख्यमंत्री, हरियाणा।
4. निजी सचिव/विशेष कार्य अधिकारी/मुख्यमंत्री (बी०डी०), हरियाणा।
5. तकनीकी निदेशक/एन०आई०सी० (जी०डी०), हरियाणा।
6. सुपरवाइजर, सी०एम० विण्डो, हरियाणा।